[illegible] 689/0.33 कुल [illegible] 336/1.28, 648/0.45 652/0. [illegible] हैक्टयर में प्रतिवादी संख्या1 1/2 भाग का खातेदार दर्ज है। वादियागण व प्रविादी संख्या 1 एवं 2 एक ही हिन्दू संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। वादग्रस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की पैतृक कोपार्सनरी की आराजी है जो उन्हें उनके पूर्वज सोन्या से विरासत में प्राप्त हुई है। वादिया नं. 1 सोन्या के पुत्र जगदीश प्रतिवादी संख्या 1 के मृतक पुत्र प्रेमचन्द की विधवा है तथा वादिया संख्या 2 मृतक प्रेमचन्द की पुत्री है। प्रतिवादिया संख्या 3, 4 व 5 जगदीश की पुत्री है। जगदीश के दो पुत्र व तीन पुत्रियां है जगदीश ने अपनी तीनों पुत्रियों की शादी कर दी है जो अपनी अपनी ससुराल चली गयी है तथा जगदीश ने अपनी आराजी को दोनो पुत्रों को 1/2 व 1/2 भाग में विभक्त कर दिया था तथा इसी प्रकार काश्त करते थे। वादियागण दिनांक 19–8–10 को अपने हिस्सा की आराजी पर थी तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने कहा कि हमने इस जमीन में से तेरा हिस्सा विकय कर दिया है। वादग्रस्त भूमि मे वादियागण का 1/6 हिस्सा बनता है। प्रतिवादीगण ने शेष भूमि को विकय करने की धमकी दी। यदि प्रतिवादीगण अपनी धमकी मे सफल हो गये तो वादियागण को अपूर्तनीय क्षति होगी। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 व 7 क पक्ष में करवाया गया विकय पत्र नल एण्ड बोईड है जिससे प्रतिवादी संख्या 6 व 7 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। वादियागण को प्रतिवादीगण द्वारा धमकी देने के कारण विनाय दावा उत्पन्न हुआ है। इसलिये दावा प्रस्तुत करना जरूरी हुआ है। वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त है। अत वादियागण का वाद डिकी फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से जबाब दावा इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि वादिया के अलावा विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 की संयुक्त आराजी है एवं परिवार का शजरा स्वीकार है। मौके पर विवादित आराजी पर प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 अपने हिस्सानुसार 1/5 – 1/5 पर काबिज है। वाद पत्र मनगढन व झूठे तथ्यों पर आधरित है। प्रतिवादीगण द्वारा वादियागण को

ण्ड अधिकारी
(जिला दौसा)

[illegible]

[illegible] 5 समान हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। वादी का दावा खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान वकीलों की बहस सुनी। वादियागण के वकील ने अपनी बहस प्रारम्भ करते हुये जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजी का मूल खातेदार जगदीश था जिसका देहान्त हो चुका है मृतक जगदीश के दो पुत्र दिनेश व प्रेमचन्द हुये जिनमें से प्रेमचन्द का भी देहान्त हो चुका है मृतक प्रेमचन्द के वारिसान वादियागण है। वादियागण का हिस्सा मिलना चाहिये प्रतिवादी ने भी स्वीकार किया है। सरोज का बयान व कोर्ट का पर गौर फरमाया जावे। प्रतिवादी ने स्वीकार किया है कि वादिया का 1/5 हिस्सा है। वादिया के हिस्सा में 99 ऐयर भूमि आती है। विभाजन भी किया जावे।

प्रतिवादी के विद्वान वकील ने बहस का उत्तर देते हुये जाहिर किया कि वादी ने कहा है कि एडमिशन ही बैस्ट साक्ष्य है जो कि दोनों पक्षों पर लागू होती है। विभाजन होने के लिये धारा 53 में लिखा है कि खातेदार होना चाहिये और विभाजन के नियम 122 के अन्तर्गत कार्यवाही हो। वादिया का 1/5 हिस्सा बनता है जिस पर कोई आपत्ति नहीं है। खातेदार होने के बाद ही विभाजन का दावा लाया जा सकता है। विभाजन अभी नहीं किया जावे।

वादिया के वकील ने पुनः जाहिर किया कि प्रतिवादी ने 1/5 हिस्सा स्वीकार किया है जिसे निर्णित किया जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। नकल जमाबदी संवत 2063–66 प्रदर्श पी 1 के अनुसार गाम खानपुर तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 576/0.33, 577/0.26, 579/0.19, 584/0.41, 587/0.44, 588/0.47, 609/0.43 कुल किता 7 रकबा 2.53 हैक्टयर जगदीश पुत्र सोन्या जाति ब्राहमण निवासी खानपुर

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

[illegible] कुल किता 3 रकबा 2. [illegible] के 1/2 भाग को गुड्डी देवी पत्नि धनश्याम हि.2/3 सुखदेई पत्नि [illegible] हि. 1/3 दर हि. 1/2 जाति जाट निवासी कोण्डला को विक्रय कर दिया जैसाकि जमाबंदी में लगाये गये नोट से प्रमाणित होता है। इस प्रकार मृतक जगदीश पुत्र सोन्या आराजी खसरा नम्बर 576/0.33, 577/0.26, 579/0.19, 584/0.41, 587/0.44, 588/0.47, 609/0.43 कुल किता 7 रकबा 2.53 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 333/1.25, 334/0.04, 542/0.30, 646/0.20, 647/0.23, 655/0.55 689/0.33 कुल किता 7 रकबा 2.90 हैक्टयर में जगदीश पुत्र सोन्या 1/2 भाग का खातेदार रहा है।

अब प्रश्न यह आता है कि मृतक जगदीश खातेदार के विधिक वारिसान कौन कौन है। वादिया इस स्थिति को स्पष्ट नहीं कर सकी ह। वादिया ने अपने वाद पत्र के मद संख्या 5 में मृतक जगदीश के दो पुत्र प्रेमचन्द व दिनेश होना अंकित किया है तथा प्रतिवादी संख्या 3, 4, व 5 को पुत्री होना अंकित किया है किन्तु मद संख्या 6 में अंकित किया है कि जगदीश ने अपने जीवन काल में आराजी को दोनों पुत्रों में 1/2 व 1/2 भाग मे विभक्त कर दिया था। जबकि मद संख्या 9 में वादिया ने 1/6 हिस्सा की मांग की है। जबकि वादिया के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में वादियागण को 1/5 हिस्सा का खातेदार घोषित करने की मांग की है। इस प्रकार हम यह पाते है कि वादियागण के वाद में विरोधाभास है। प्रकरण से यह तो प्रमाणित है कि वादियागण खातेदार मृतक जगदीश की विधिक वारिसा है किन्तु वादियागण के वाद पत्र साक्ष्य व बहस से यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है कि वादियागण को कितने भाग का खातेदार घोषित किया जावे। यह एक जांच का विषय है।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

[illegible] विधिक वारिसान है तथा उनकी खातेदारी [illegible] की अधिकारी है। किन्तु वादियागण का हिस्सा [illegible] वादियागण को खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता। [illegible] नहीं होने कारण विभाजन करवाने की भी हकदार नही [illegible] वादियागण अपने वाद को प्रमाणित करने में विफल रही है। यहा [illegible] उचित समझते है कि तहसीलदार महवा खातेदार मृतक जगदीश [illegible] वारिसान की जांच कर उनके नाम विरासत का नामान्तरकरण खोलने व [illegible] कार्यवाही करने की कार्यवाही करे।

आदेश

अतः वादियागण का वाद बाबत ग्राम खानपुर तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 576/0.33, 577/0.26, 579/0.19, 584/0.41, 587/0.44, 588/0.47, 609/0.43 कुल किता 7 रकबा 2.53 हैक्टयर व खसरा नम्बर 333/1.25, 334/0.04, 542/0.30, 646/0.20, 647/0.23, 655/0.55 689/0.33 कुल किता 7 रकबा 2.90 हैक्टयर एवं खसर नम्बर 335/1.28, 648/0.45 652/0.29 कुल किता 3 रकबा 2.02 हैक्टयर प्रमाणित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

तहसीलदार महवा को आदेश दिये जाते हैं कि खातेदार मृतक जगदीश के विधिक वारिसान की जांच कर विरासत के नामान्तरकरण की कार्यवाही करें एवं पालना से इस न्यायालय को अवगत करावे। तत्पश्चात वादियागण विभाजन का वाद लाने के लिये स्वतंत्र है। डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 09–10–2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल योगी)
उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)